Memorandum of Understanding

This MoU is made at [place] on the 12th day of December [Month] 2019 (hereinafter referred to as the "MoU".)

BETWEEN

The Governor of the State of Rajasthan, acting through Principal Secretary, Department of Information Technology & Communication, Government of Rajasthan having its office at IT Building, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302005 (hereinafter referred to as "Govt. of Rajasthan" or "GoR" or "DoIT&C") which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof, includes its successors and assigns, of the First Part

AND

Software Technology Parks of India (hereinafter referred to as "STPI"), having registered office at Software Technology Parks of India, Electronics Niketan, 6, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003, *which expression unless repugnant to the context or meaning thereof, includes its successors and assigns of the* Second Part.

("DoIT&C" and "STPI" shall hereinafter be referred to as individually as a "Party" and collectively as "Parties").

1. PREAMBLE

WHEREAS, DoIT&C", Government of Rajasthan has been entrusted the task of nucleating and promoting business enterprises for the benefit of the society by providing facilities/resources to the Start-ups / entrepreneurs / entrepreneurial ventures.

WHEREAS, "DoIT&C" shall support/ guide/ stimulate/ promote Entrepreneurial and Management Development of Startups by providing an integrated platform and by policy formulation, planning, implementation and monitoring of Startup Promotions.

WHEREAS, "DoIT&C" has setup Bhamashah Techno Hub at Jaipur, and iStart Nest Incubators at Udaipur, Kota & Jaipur, wherein facilities for working space, mentorship and funding are being provided to Startups registered in Rajasthan. Further, such facilities are being created in other districts of the State in phased manner.

WHEREAS, STPI, is a Society under Ministry of Electronics and Information Technology (*MeitY*), Govt. of India furthering growth of Information Technology in the country.

WHEREAS, "STPI" is willing to be part of journey to promote Startup ecosystem in the state of Rajasthan by partnering with DoIT&C by leveraging its extensive experience and resources for the promotion of Startups;

विनीता
Vinita Srivastava

समझौता–ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन............. में फरवरी माह, 2019 ....12....... दिन निम्न के बीच निष्पादित किया गया है (जिसे इसके बाद "एमओयू" कहा गया है)।

राजस्थान राज्य के महामहिम राज्यपाल, प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान **सरकार** के माध्यम से, जिनका कार्यालय आई.टी.बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी: स्कीम, जयपुर राजस्थान – 302005 में स्थित है (जिसे इसके बाद "राजस्थान सरकार अथवा "जीओआर" अथवा "डीओआईटी एंड सी") जिसका तात्पर्य जोकि संदर्भ अथवा इसके अर्थ के प्रति असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारियों और निर्दिष्ट अधिकारी शामिल है **प्रथम पक्ष**

और

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद एस टी पी आई कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया, इलैक्ट्रानिकी निकेतन, 6, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 जिसका तात्पर्य जोकि संदर्भ अथवा इसके अर्थ के प्रति असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारियों और निर्दिष्ट अधिकारी शामिल है **द्वितीय पक्ष**

"डीओआईटी एंड सी" और "एसटीपीआई जिन्हे इसके बाद अलग–अलग रूपों में "पक्ष" और सामूहिक रूप में "पक्षकार" कहा गया है।

1 प्रस्तावना

जबकि "डीओआईटी एंड सी", राजस्थान सरकार को स्टार्टअप, उद्यमियों/उद्यमशील उपक्रमों को सुविधाएं/संसाधनों को प्रदान करते हुए सोसाइटी के लाभ के लिए नाभिकीय और व्यवसायिक उद्यमों के संवर्धन का कार्य सौंपा गया है।

जबकि "डीओआईटी एंड सी", स्टार्टअप के संवर्धन के लिए एक समेकित मंच प्रदान करके तथा नीतिनिर्धारण, योजना, क्रियान्वयन और मॉनीटरन द्वारा स्टार्टअप की सहायता/मार्गदर्शन/प्रेरक/उद्यमियों और प्रबंधन विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

जबकि "डीओआईटी एंड सी", ने जयपुर में भाभाशाह टेक्नो हब तथा उदयपुर, कोटा और जयपुर में आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर स्थापित किए है, जिसमें राजस्थान में पंजीकृत स्टार्टअप को कार्यकारी स्थान, परामर्श और निधियों के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही इस प्रकार की सुविधाएं चरणबद्ध रूप में राज्य के अन्य जिलों में भी सृजित की जा रही है।

जबकि एसटीपीआई एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (एम ई आई टी वाई), भारत सरकार, के अन्तर्गत एक संस्था है, देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दे रही है।

जबकि "एसटीपीआई" स्टार्टअप के संवर्धन के लिए अपने व्यापक अनुभव और संसाधनों को प्रदान करते हुए "डीओआईटी एंड सी" के साथ सहभागिता द्वारा राजस्थान राज्य में स्टार्टअप ईको सिस्टम को बढ़ावा देने की यात्रा में भागीदारी के लिए इच्छुक है।

The objective of this MoU is to foster collaboration, provide opportunity and to facilitate the advancement of knowledge, policy and support for industry on the basis of reciprocity.

2. SCOPE OF MoU

The parties shall work jointly towards setting up of activities in the fields of IT/ITeS, to conduct joint outreach, awareness and roundtable discussions in the area of common interest to encourage startup programs / policies across the country.

NOW THEREFORE, as duly communicated and agreed by and between the parties the conditions of this MoU are as follows:

2.1 DoIT&C Responsibilities

2.1.1 Provide details of startups to STPI with their rating in Rajasthan, on basis of standards developed and implemented by DoIT&C.

2.1.2 Efforts will be made to leverage relevant benefits available under various schemes of GoI/GoR.

2.1.3 To support in creation of incubation and lab facilities i.e. CoE, Fabrication Lab (Fab Lab) by providing funds, grant and other infrastructure support as per rules / policy and by following due diligence and approval process by GoR.

2.1.4 To support STPI in listing STPI's incubators available in Rajasthan on iStart portal under iStart program.

2.1.5 Mutually work together to co-design new programs for policy and program intervention in line with supporting innovation and entrepreneurship in Rajasthan.

2.2 STPI Responsibilities

2.2.1 To bring all Incubatees / Startups working with / in STPI / STPI Incubators in Rajasthan on iStart platform to ensure all benefits to Startups as per Rajasthan Startup Policy.

2.2.2 Work towards promoting startups by facilitating mentorship, assisting startups in connecting with possible Angel investors, Venture capitalist etc. on a non-mandatory basis.

2.2.3 Provide available resources / platforms / technology to startups in Rajasthan evaluated and ranked by DoIT&C.

2.2.4 Give impetus to research, technology development, product development, through incubation, Lab, CoE facilities to startups in IT/ITeS sectors.

2.2.5 Produce new generation of entrepreneurs and Incubatees, who are ready (at least having completed the ideating, conceptualizing, seeding the committing phases) to reap the benefits of the incubation and start-up facilities.

2.2.6 Creation of potential IT and Electronics focused startups for incubation.

2.2.7 Establishment of Technology hub like CoE and Fab Lab etc. to offer technology and business incubation programs for Start-ups.

2.2.8 To hold regular interaction/discussion meetings between both the parties to keep the momentum and explore new avenues for collaboration.

विनीता
Vinita Srivastava

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पारस्परिक आदान–प्रदान के रूप में उद्योग के लिए सहयोग के पालन, अवसर प्रदान करने और जानकारी, नीति और सहायता उन्नति को सुसाध्य बनाना है।

2 समझौता ज्ञापन का कार्यक्षेत्र

दोनो पक्षकार आई टी, आई टीई एस के क्षेत्रों में क्रियाकलापों की स्थापना, संपूर्ण देश में स्टार्टअप कार्यक्रमों और नीतियों को बढावा देने के लिए समान रूचि के क्षेत्रों में संयुक्त पहुंच, जागरूकता और पारस्परिक विचार विमर्श के आयोजन के लिए संयुक्त रूप में कार्य करेंगे।

अब अत:, दोनों पक्षकारों के बीच सहमत और समुचित रूप में संप्रेषित इस समझौता ज्ञापन की शर्तें निम्न प्रकार है–

2.1 डीओआईटी एंड सी के उत्तरदायित्व

2.1.1 डीओआईटी एंड सी द्वारा विकसित और क्रियान्वित मानकों के आधार पर स्टार्टअप का राजस्थान में उनकी श्रेणी सहित, का ब्यौरा एसटीपीआई को प्रदान करना।

2.1.2 भारत सरकार/राजस्थान सरकार की विविध योजनओं के अंतर्गत उपलब्ध संबद्ध लाभों को प्रदान करने के लिए प्रयास किए जायेंगे।

2.1.3 नियमों/नीति के अनुसार तथा राजस्थान सरकार द्वारा उचित सचेतना और अनुमोदित प्रक्रिया का पालन करते हुए निधियों, दान तथा अन्य आधारभूत सहायता प्रदान करते हुए इन्क्यूबेशन और लैब सुविधाओं अर्थात सीओई, संविरचन प्रयोगशाला (फेब लैब) के सृजन में सहायता प्रदान करना।

2.1.4 आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आई स्टार्ट पोर्टल पर राजस्थान में उपलब्ध एसटीपीआई के इन्क्यूबेटर्स को सूचीबद्ध करने में एसटीपीआई की सहायता करना ।

2.1.5 राजस्थान में नूतनता और उद्यमशीलता की सहायता करते हुए नीति और कार्यक्रम अन्तस्थता के अनुरूप नये कार्यक्रमों को संयुक्त रूप में डिजाइन करने के लिए साथ–साथ पारस्परिक कार्य करना।

2.2 एसटीपीआई का उत्तरदायित्व

2.2.1 राजस्थान की स्टार्टअप नीति के अनुसार स्टार्टअपों को सभी प्रकार के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए आई स्टार्ट प्लेटफार्म पर राजस्थान में एसटीपीआई के साथ/में /एसटीपीआई के इन्क्यूबेटरों को कार्य करने के लिए इन्क्यूबेट्स/स्टार्टअप को साथ में लाना।

2.2.2 स्वैच्छिक रूप में संभावित एंजल निवेशकों को/उद्यमी पूंजीपतियों इत्यादि को जोड़ते हुए स्टार्टअपों की सहायता/सदस्यता सुसाध्य बनाते हुए स्टार्टअपों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करना।

2.2.3 डीओआईटी एंड सी द्वारा मूल्यांकित और प्रदत्त रैंक प्रदान करते हुए राजस्थान में स्टार्टअपों को उपलब्ध संसाधनों/प्लेटफामों/प्रौद्योगिकी प्रदान करना।

2.2.4 आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में स्टार्टअपों कों इन्क्यूबेशन, लैब , सीओई सुविधाओं के माध्यम से शोध, प्रौद्योगिकी विकास उत्पाद विकास को बल प्रदान करना।

2.2.5 इन्क्यूबेशन और स्टार्टअप सुविधाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए नयी पीढ़ी के उद्यमियों और इन्क्यूबेटरों, जोकि (प्रतिबद्ध चरणों पर विचार, संकल्पना और बीजारोपन का कार्य पूरा कर चुके है) तत्पर है, को तैयार करना।

2.2.6 इन्क्यूबेशन के लिए संभावित आईटी और इलैक्ट्रानिकी केंद्रित स्टार्टअपों का निर्माण करना।

2.2.7 स्टार्टअपों के लिए प्रौद्योगिकी और व्यवसायिक इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी हब जैसे सीओई और फैब लैब इत्यादि की स्थापना करना।

2.2.8 सहयोग के लिए नये अवसरों की खोज और गति बनाये रखने के लिए दोनों पक्षकारों के बीच नियमित रूप से अन्योन्यक्रिया/विचार संबंधित बैठके आयोजित करना।

2.2.9 To provide Data communication services, cloud services, Managed IT services in IT/ITeS sectors and to Startups in Rajasthan.

2.2.10 To provide statutory services in IT/ITeS segment.

2.2.11 Sharing of network and infrastructure resources, providing networking connections.

3. TENURE OF MoU

This MoU is valid, subject to fulfillment of the conditions as mentioned herein for a period of Five (5) years from the date of its execution. However this can be extended with mutual written agreement by both parties.

4. TERMINATION OF ENGAGEMENT AND EXIT POLICY

Each party shall have right at any time to terminate this agreement with or without any cause by giving the other party minimum notice of one month advance notice in writing.

5. CONFIDENTIALITY

5.1.1 For the purposes of this Agreement, the term "Confidential Information" shall mean all non public written, electronic, oral, visual or intangible information disclosed by either party or as may be voluntarily learnt or observed by the parties or its employees of representatives. Each Party will maintain the confidentiality of any information it receives from the other Party which is marked confidential or proprietary or which would, under the circumstances, appear to a reasonable person to be confidential or proprietary.

5.1.2 The parties may disclose certain confidential information to the other in relation to any future proposal made under this MoU. Each party therefore agrees that the contents of this MoU and the negotiations in relation to any future proposal remain strictly confidential and each party hereby undertakes not to disclose the same to any third party, save for its professional advisers, without the prior written consent of the other party except where such disclosure is required by law (including, without limitation, under applicable freedom of information legislation).

5.1.3 The confidentiality does not apply to information:

i. that is in the public domain through no fault of a Party,

ii. is required to be disclosed by law,

iii. is disclosed with the consent of the disclosing Party,

iv. is independently developed by the receiving Party without use of any Confidential Information of the disclosing Party or

v. was previously in the receiving Party's possession, as shown by its pre-existing records,

vi. without violation of any responsibility of confidentiality.

विनीता
Vinita Srivastava

2.2.9 राजस्थान में स्टार्टअपों को तथा आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में आंकड़ा संचार सेवाएं, क्लाउड सेवाएं, प्रबंधित आई टी सेवाएं प्रदान करना।

2.2.10 आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में सांविधिक सेवाएं प्रदान करना।

2.2.11 नेटवर्किंग सेवा प्रदान करके नेटवर्क और आधारभूत संसाधनों की सहभागिता करना।

3 समझौता ज्ञापन की अवधि

यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन इसके निष्पादन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए वैध है तथापि इसका दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक लिखित करार से विस्तार किया जा सकता है।

4 आबंधन और निष्कासन नीति का समापन

प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह लिखित रूप में एक माह की अग्रिम सूचना दूसरे पक्ष को देकर इस करार को किसी भी समय किसी कारण से अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर सकता है।

5 गोपनीयता

5.1.1 इस करार के उद्धेश्य से शब्द "गोपनीय सूचना" से तात्पर्य सभी प्रकार की गैर–सार्वजनिक लिखित, इलैक्ट्रानिकी, मौखिक, दृश्यक अथवा अमूर्त सूचना किसी भी पक्ष द्वारा प्रकट की गयी अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा स्वतः ज्ञात अथवा दोनों पक्षकारों अथवा इसके कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेक्षित सूचना है। प्रत्येक पक्ष ऐसी किसी भी सूचना की गोपनीयता बनाये रखेगा जो उसे दूसरे पक्ष से प्राप्त होती है, जिसे गोपनीय अथवा स्वामित्व वाली सूचना अंकित किया गया है अथवा जो परिस्थितिवश किसी विवेकशील व्यक्ति को गोपनीय अथवा स्वामित्व वाली प्रतीत होती हो।

5.1.2 दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किए गए किसी भावी प्रस्ताव के संबंध में किसी दूसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी प्रकट कर सकता है। अतः प्रत्येक पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस समझौता ज्ञापन की विषय–वस्तु तथा किसी प्रकार के भावी प्रस्ताव के संबंध में समझौता वार्ता अत्यंत गोपनीय रहेगी और प्रत्येक पक्ष एतद् द्वारा यह वचन देता है कि इस जानकारी को, दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा सिवाय इसके व्यावसायिक सलाहकारों के सिवाय जहां इस प्रकार का प्रकटन करना विधि द्वारा अपेक्षित हो। (इसमें सूचना विधान की अनुमत्य स्वतंत्रता के अंतर्गत बिना किसी परिसीमा के शामिल है)

5.1.3 गोपनीयता ऐसी सूचना पर लागू नहीं होगी :

i. जोकि किसी पक्ष के दोष के बिना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।
ii. जोकि विधिक रूप में प्रकट करनी जरूरी हो।
iii. जोकि प्रकट किए जाने वाले पक्ष की सहमति से प्रकट की गयी हो।
iv. जोकि प्रकट किए जाने वाले पक्ष की किसी गोपनीय सूचना के उपयोग के बिना प्राप्त करने वाले पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गयी हो।
v. जोकि पहले से ही प्राप्त करने वाले पक्ष के अधिकार में हो और जिसे इसके पूर्व विद्यमान रिकार्ड में दर्शाया गया हो।
vi. गोपनीयता के किसी उत्तरदायित्व के अतिक्रमण के बिना हो।

विनीता

6. **FORCE MAJEURE**

None of the parties shall be considered to be in default or breach if prevented by circumstances beyond control as per the standard conditions of Force Majeure.

7. **APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION**

7.1.1 This Agreement and the rights and responsibilities of the Parties under or arising out of this Agreement shall be construed and enforced in accordance with the laws of India.

7.1.2 All disputes arising this MoU shall be referred to arbitration of a sole arbitrator to be appointed by mutual consent of Commissioner and Principal Secretary, DoIT&C, GoR and Director General, STPI. The arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration and reconciliation act 1996."

7.1.3 To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the parties be liable to one another for any damages whatsoever, including without limitation indirect, special, consequential, and/or punitive damages, arising out of, resulting from or in connection with this agreement.

In witness thereof the parties have caused their authorized representatives to sign this agreement on the date mentioned hereinabove.

Signed on this 12th day of December (month) 2019.

For & on behalf of the Dept. of IT&C, GoR:	**For & on behalf of the Software Technology Parks of India**
Signature विनीता **Name** विनीता श्रीवास्तव **Designation** Vinita Srivastava **Postal Address** ACP (Deputy Director), RISL **Seal** **Witness (Name & Address)** 1 .... 2	**Signature** रजनीश अग्रवाल Rajneesh Agrawal **Name: Rajneesh Agrawal** निदेशक / Director **Designation : Director** सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस् ऑफ इंडिया Software Technology Parks of India **Postal Address: Block-IV, Ganga Software Technology Complex, Sector 29, Noida 201303** Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India Noida-201303 (U.P.) **Seal** STPI NOIDA **Witness (Name & Address)** 1 (Sanjay Kumar) Jt. Director, STPI Noida Sec-29 (UP) 2 (BRIJESH KUMAR) Jt Director, STPI Noida

6 अनिवार्य बाध्यता

किसी भी पक्ष को दोषी अथवा उल्लघंन करने वाला नहीं माना जायेगा यदि इसे अनिवार्य बाध्यता की मानक शर्तों के अनुसार परिस्थितियों के नियंत्रण के अधीन रोका न गया हो।

7 लागू कानून, अधिकार क्षेत्र और विवादों का समाधान

7.1.1 यह करार और दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्वों, जोकि इस करार के अधीन अथवा इससे बने हो, को भारत के कानून के अनुसार माना और लागू किया जायेगा।

7.1.2 इस समझौता ज्ञापन से व्युत्पन्न होने वाले सभी विवादों को एकल मध्यस्थ, जिसे आयुक्त और प्रमुख सचिव, डीओआईटी एंड सी, राजस्थान सरकार तथा महानिदेशक, एसटीपीआई की पारस्परिक सहमति से नियुक्त किया जाएगा, को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता की जायेगी।

7.1.3 लागू कानून द्वारा यथासंभव अधिकतम सीमा तक किसी भी प्रकार से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायित्व नहीं ठहराएगा, जिसमें अपरोक्ष परिसीमन के बिना, विशेष परिणामस्वरूप, और/अथवा दंडात्मक क्षतियॉ, जोकि इस करार के संबंध में अथवा इसके कारण से उत्पन्न हुई हो, शामिल है।

इसके साक्ष्य में दोनों पक्षकारों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपर्युक्त दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

माह 12 दिसम्बर 2019 के .... दिन को हस्ताक्षरित

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के लिए और की ओर से	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया के लिए और की ओर से
हस्ताक्षर विनीता श्रीवास्तव	हस्ताक्षर
नाम विनीता पदनाम डाक का पता : Vinita Srivastava ACP (Deputy Director), RISL	नाम : रजनीश अग्रवाल पदनाम : निदेशक डाक का पता: ब्लॉक IV, गंगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी काम्पलेक्स, सेक्टर–29, नोएडा–201303 रजनीश अग्रवाल Rajneesh Agrawal निदेशक / Director सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया Software Technology Parks of India Ministry of Electronics and Information Technology, Govt. of India नोएडा 201303 (उ.प्र.) Noida 201303 (U.P.)
मोहर	मोहर STPI NOIDA
साक्ष्य (नाम व पता) 1.............................. 2.	साक्ष्य (नाम व पता) 1. संजय कुमार, संयुक्त निदेशक एस.टी.पी.आई, नोयडा (UP)(उ.प्र.) 2. प्रिजेश कुमार, संयुक्त निदेशक एस.टी.पी.आई, नोएडा